TO BE PUBLISHED IN THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY PART-II
SECTION 3, SUB-SECTION (ii) DATED THE 15TH MAY, 1998

Government of India
Ministry of Finance
(Department of Revenue)

*****

New Delhi the 15th May 1998

NOTIFICATION

S.O. (E).- Whereas by notification number S.O. 216(E) dated the 30th March, 1993 issued under sub-section (1) read with clause (b) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government had specified at serial number 11 , Preventive diagonosis curative Medical aid and mass awareness programmes in slums of Bombay and Adivasi area and other villages of Thane, Raigarh and Nasik districts of Maharashtra of The Family Planning and Medical Aid Trust, 6, Indian Mercantile Mansion, Madam Cama Road, Opposite Musuem and C.G Hall, Fort, Bombay-400039 as an eligible project or scheme for a period of three years beginning with assessment year 1993-94 which was extended for a period of three more years i.e. assessment year 1996-97, 1997-98 and 1998-99 vide S.O. 721(E) dated the 17th August, 1995;

AND WHEREAS the said project or scheme is likely to extend beyond six years;

AND WHEREAS the National Committee, being satisfied that the said project or scheme is being executed properly, made a further recommendation under sub-rule (5) of rule 11M of the Income-tax Rules, 1962 for specifying the said project or scheme for a further period of three years;

NOW, THEREFORE, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (b) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), hereby specifies the scheme or project of Preventive diagonosis curative Medical aid and mass awareness programmes in slums of Mumbai and Adivasi asrea and other villages of Thane, Raigarh and Nasik districts of Maharashtra of The Family Planning and Medical Aid Trust, 6, Indian Mercantile Mansion, Madam Cama Road, Opposite Musuem and C.G Hall, Fort, Mumbai-400039 , at the estimated cost of rupees nineteen lakhs sixty thousand only as an eligible project or scheme for a further period of three assessment years commencing from assessment year 1999-2000.

(V.K. SEHGAL)
Deputy Secretary to the Government of India

No. 10598
F.No. NC-29/98

भारत के राजपत्र असाधारण भाग-II खण्ड-3, उपखण्ड(ii) में दिनांक 15 मई, 1998 को प्रकाशनार्थ।

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 15 मई 1998

अधिसूचना

सं0 आ0__________(अ) आयकर अधिनियम 1961(1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड(ख) के साथ पठित उपधारा(1) के अन्तर्गत जारी की गई दिनांक 30 मार्च, 1993 की अधिसूचना सं0 आ0 216(अ) द्वारा केन्द्रीय सरकार ने फेमिली प्लानिंग तथा मेडिकल एड ट्रस्ट,6, इण्डियन मर्केंटाईल मेन्शन, मैडम कामा रोड, म्यूजियम और सी0जी0 हाल के सामने फोर्ट, मुम्बई-400039 की महाराष्ट्र के थाने, रायगढ़ और नासिक जिलों के आदिवासी क्षेत्रों और अन्य गांवों और मुम्बई की गंदी बस्तियों में रोग निवारक रोग निदान उपचारात्मक चिकित्सा सहायता और जन जागरूकता कार्यक्रम को कर निर्धारण वर्ष 1993-94 से आरम्भ होनेवाले आगे तीन वर्षों की अवधि के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में क्रम संख्या 11 पर विनिर्दिष्ट किया गया था, जो कि दिनांक 17 अगस्त, 1995 की सं0 आ0 721(अ) के द्वारा आगे की तीन वर्षों की अवधि अर्थात निर्धारण वर्ष 1996-97, 1997-98, 1998-99 के लिए बढ़ाई गई थी।

और चूंकि इस परियोजना अथवा स्कीम के छः वर्षों के बाद तक चलने की संभावना है,

और चूंकि राष्ट्रीय समिति ने यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उचित रूप से निष्पादित की जा रही है, आयकर नियमावली 1962 के नियम 11 ड के उप नियम(5) के अन्तर्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम को आगे और तीन तीन वर्ष की अवधि के लिए विनिर्दिष्ट करने की सिफारिश की है।

इसलिए अब केन्द्रीय सरकार आयकर अधिनियम 1961(1961का 43) की धारा

......-2-/-

35 क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड(ख) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केमिकल प्लास्टिक तथा मेडिकल एड ट्रस्ट 6, इण्डियन मर्केंटाइल मेन्शन, मैडम कामा रोड, म्यूजियम और वीओजी हाल के सामने फोर्ट, मुम्बई 400039 को महाराष्ट्र के थाने, रायगढ़ और नासिक जिलों के आदिवासी क्षेत्रों और अन्य गांवों और मुम्बई की गन्दी बस्तियों में रोग निवारक और रोग निदान उपचारात्मक चिकित्सा सहायता और जन जागरूकता कार्यक्रम को उन्नीस लाख साठ हजार रु० की अनुमानित लागत पर कर निर्धारण वर्ष 1999-2000 से आरम्भ होने वाले कर निर्धारण वर्ष से आगे और तीन वर्ष की अवधि के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में एतद्द्वारा विनिर्दिष्ट करती है

(वी० के० सहगल)
उप-सचिव, भारत सरकार

सं० 10598

फा० सं० रा०स० 29/98